न्यायालय अति.जिला कलेक्टर,टोंक

(मुरारी लाल शर्मा,आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 50 / 2017

प्रविष्टि दिनांक 20.04.2017

नसरीन पुत्री अब्दूला जाति मुसलमान निवासी मालपुरा तहसील मालपुरा जिला टोंक

–अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार मालपुरा जिला–टोंक राजस्थान

–रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0ले0रे0एक्ट विरूद्ध निर्णय न्यायालय तहसीलदार मालपुरा दिनांक 03.09.2015 धारा 91(3) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति : (1) श्री एम.हनीफ नकवी, अभिभाषक अपीलान्ट

(2) श्री घसीडिया राम बैरवा, तहसीलदार, राजकीय पेरोकार रेस्पोडेण्ट

निर्णय **दिनांक 22.02.2022**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार मालपुरा ने अपने आदेश दिनांक 03.09.2015 के द्वारा अपीलान्ट को भूमि खसरा नम्बर 3672 मे रकबा 1 बीघा 4 बिस्वा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम मालपुरा पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानकर शास्ति कायम कर भूमि से बेदखल कर 90 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार मालपुरा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने हेतु अपील प्रस्तुत की है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट जरिए सम्मन की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रकरण में अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने दोराने बहस अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय्र पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया है तथा अपीलांट की प्रोपर तामिल नही हुई है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी की झूंठी रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अपीलांट का किसी भी सरकारी भूमि पर न तो पहले कब्जा था और न ही वर्तमान मे कब्जा है। अपीलांट ने कब्जा छोडने बाबत शपथ पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय परोकार ने कथन किया कि सम्मन पर अपीलाण्ट की विधिवत [illegible] हुई है। अतिकमी अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अधीनस्थ न्यायालय [illegible] के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि अपीलान्ट ने उक्त आराजी खसरा नम्बर [illegible] इससे पूर्व में भी अतिक्रमण किया था। अतिकमी बारानी–3 भूमि पर बार [illegible] करने का आदी [illegible] उपलब्ध दस्तावेजात से अपीलाण्ट का पश्चातवर्ती अतिकमी होना सिद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय सही एंव उचित है। अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 16:17:09 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
टोंक

किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही है।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट एंव राजकीय अभिभाषक की बहस पर मनन किया एंव अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन करने से विदित होता है कि अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया है। अपीलाण्ट की विधिवत रूप से तामील हुई है। अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय मे उपस्थित नही हुआ है। अपीलान्ट द्वारा सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमि खसरा नम्बर 3672/1 मे से रकबा 10 बिस्वा किस्म बारानी–3 वाके ग्राम मालपुरा तहसील मालपुरा पर जोत कर अतिक्रमण किया है। अपीलांट द्वारा शपथ पत्र बाबत हटाये जाने कब्जा प्रस्तुत किया। राजकीय पेरोकार ने भी अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि से अपना कब्जा हटाने तथा भविष्य मे किसी भी राजकीय भूमि पर अतिक्रमण नही करने की शर्त पर सिविल कारावास की सजा स्थगित की जाती है तो आपत्ति नही की है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः अपील अपीलाण्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 03.09.2015 के जरिये की गई दोष सिद्वी एंव अर्थ दण्ड को यथावत रखा जाता है,परन्तु सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर स्थगित रखा जाता है कि तहसीलदार मालपुरा यह सुनिश्चित करेगे कि अपीलांट का अतिक्रमित भूमि पर कब्जा नही हो। पटवारी हल्का द्वारा राजहित मे उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया है तथा अपीलांट द्वारा अधिरोपित अर्थ दण्ड जमा करा दिया है एंव भविष्य मे पुनः किसी राजकीय सम्पत्ति/भूमि पर अपीलांट कब्जा नही करेगा। यदि अपीलांट द्वारा अतिक्रमित भूमि पर से कब्जा हटाया जाने का शपथ पत्र झूठा पाया जाता है या अतिक्रमी उसी भूमि पर पुनः कब्जा करता है तो अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रहेगा। तहसीलदार मालपुरा हल्का पटवारी से उक्त भूमि पर अतिक्रमण के संबंध मे मासिक रिपोर्ट लेवे। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगे।

निर्णय आज दिनांक 22.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

22-2-2022

(मुरारी लाल शर्मा)

अतिरिक्त कलेक्टर,टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

Signature Not Verified

Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2022.05.02 15:17:09 IST
Reason: SelfAttested